

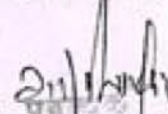
सम्परिवर्तन आदेश

मालती सेवा संस्थान अरधुना, अध्यक्ष श्री गुलाबचंद देवडिया तहसील गढी जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारों अभिप्राय में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (1) (सी) (ii) में प्रदत्त अधिकारों के तहत जगिद्वारिक प्रयोजन के लिए एतद्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. आवेदक खातेदार अभिप्राय का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता :- मालती सेवा संस्थान अरधुना, अध्यक्ष, श्री गुलाबचंद देवडिया तहसील गढी जिला बांसवाड़ा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जमाजाति का सदस्य है :- नहीं
3. सम्परिवर्तन भूमि का बर्तन :-
(i) ग्राम ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम :- ग्राम लोकिया, गा. प. अरधुना, तहसील गढी
(ii) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (80 मी) :- आखड़ी नम्बर 1174/154 रकबा 0.20 है, नै. से 0.10 है, एवं 1175/157 रकबा 0.15 है, कुल कितना 2 रकबा 0.25 है अर्थात् 2500 वर्गमीटर
(iii) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित कराते हुए सम्परिवर्तन क्षेत्रफल (है. मे. या र. मी. में) :- उपरोक्तानुसार
4. सम्परिवर्तन का प्रयोजन :- शिप्यिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संबंधी कार्य)
5. लक्ष्य प्रीमियम की दर :- 2500 वर्गमीटर का @ 10 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से डीएलसी दर से अधिक होने से कमया 25000/- देय होगा।
6. धालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी :- धालान संख्या 383 दिनांक 0.11-2012 द्वारा मद 0009 में कमया 25000/- जमा हो चुका है।
7. धालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की :- शून्य
8. धालान को संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :- शून्य
9. क्या आदेश निवर्तितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया :- नहीं
10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :- (1) नियमानुसार संवत् 2069 से लगान की कमी की जाये।
(2) ग्राम लोकिया की डीएलसी दर 107145/- बोधा है।

11. उपर्युक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (क) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (ख) यदि आदेशक द्वारा आदेश के जारी होने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन समस्त हो जायेगा।
- (ग) नियम-1 में तथा यथा- वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।
- (घ) लोकप्रयोगी प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी या किसी मांग अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा।
- (ङ) नियमानुसार डीडबन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित ग्रामीण सड़क के मध्य से 50 मीटर दूरी छोड़कर निर्माण किया जायेगा।


जिला कलेक्टर

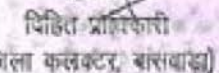

जिला कलेक्टर


जिला कलेक्टर

विहित अधिकारी
(जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा)

प्रतिनिधि :-

1. उपर्युक्त अधिकारी, गढी।
2. तहसीलदार, गढी एवं पोलनवा।
3. ग्राम पंचायत अरधुना।
4. ग्रामीण अधिकारी, जिला राजस्व सेवा, कर्णालय हजरा।
5. तहसील राजस्व लेखाकार, गढी।
6. पंचायत सेवा अरधुना।
7. मालती सेवा संस्थान अरधुना, अध्यक्ष श्री गुलाबचंद देवडिया तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।


विहित अधिकारी
(जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा)

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज)

क्रमांक :- एफ 2 (65)राज./सम्परिवर्तन/2017/

185

दिनांक :- 7 फरवरी, 2018

-:: सम्परिवर्तन आदेश ::-

मारुती सेवा संस्थान, अरथुना अध्यक्ष, श्री गुलाबचन्द देवडिया तहसील, गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 (बी) में प्रदत्त अधिकारों के तहत कृषि भूमि से वाणिज्यिक प्रयोजन (शैक्षणिक कार्य हेतु) के लिए एतद् द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	:-	मारुती सेवा संस्थान, अरथुना अध्यक्ष, श्री गुलाबचन्द देवडिया तहसील, गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:-	नहीं
3.	सम्परिवर्तन भूमि का ब्यौरा:-	:-	
	(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	:-	ग्राम लोकिया, पटवार हल्का अरथुना, तहसील गढ़ी।
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (एकड़/हैक्टेयर/वर्गमीटर में)	:-	ग्राम लोकिया की आराजी नम्बर 1174/154 रकबा 0.20 है0 में से 0.10 है0 एवं 1262/157 रकबा 0.15 है0 किस्म मगरी कुल किता 2 रकबा 0.25 है0 अर्थात् 2500 वर्गमीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित व हुए सम्परिवर्तन क्षेत्रफल (है. नें या व. मी. में)	:-	उपरोक्तानुसार
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोग के लिए सम्परिवर्तन भूमि को दर्शाते	:-	राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग का सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	:-	वाणिज्यिक प्रयोजन (शैक्षणिक कार्य हेतु)
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:-	ग्राम लोकिया की डीएलसी दर 156890/- रुपये प्रति बीघा है। अधिकतम 10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 2500 वर्गमीटर की राशि 25000 होती है।
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी	:-	जीआरएन नम्बर 19840973 दिनांक 27-01-2017 से राशि रूपया 25000/- राजकोष में जमा हो चुका है।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो जमा करायी गयी रकम	:-	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया	:-	नहीं
9.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:-	(1) नियमानुसार लगान की कमी की जावे।
10.	उपयुक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-		
	(क) उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।		
	(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 (दो) वर्षों की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।		
	(ग) नियम-4 में तथा यथा- वर्णित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।		
	(घ) वाणिज्यिक प्रयोजन (शैक्षणिक कार्य हेतु) के लिए सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा। सुरक्षा मापण्ड की पालना नियमानुसार करेगा।		
	(ङ) यह भूमि सम्परिवर्तन आदेश राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 40 मीटर एवं ग्रामीण सड़क से 15 मीटर नियमानुसार दूरी को छोड़कर किया जावेगा। साथ ही उक्त सम्परिवर्तित भूमि के उपर से यदि बिजली की कोई लाईन जा रही है तो उसके नीचे निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का निमार्ण कार्य नहीं किया जावेगा। भूमि में कोई प्राकृतिक नाला विद्यमान है तो उसे अवरोद्ध नहीं किया जावेगा।		

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

(1) उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी।

(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी।

(5) सरपंच, ग्राम पंचायत, अरथुना, तहसील गढ़ी।

(7) मारुती सेवा संस्थान, अरथुना अध्यक्ष, श्री गुलाबचन्द देवडिया तहसील, गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

(8) रक्षित पत्रावली।

(2) प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कार्यालय हाजा।

(4) तहसील राजस्व लेखाकार, गढ़ी।

(6) पटवारी, पटवार हल्का, अरथुना तहसील गढ़ी।

विहित प्राधिकारी

प्रारूप-ख
(देखिए नियम 9 (ए))
कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)
संपरिवर्तन आदेश

प्रकरण संख्या: 03/2019

अध्यक्ष मारुती सेवा संस्थान अस्थूना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिधृति में धारीत कृषि भूमि का राजस्व भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(ए) एवं संशोधित नियम-2012 में प्रदत्त अधिकारों के तहत सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक) के लिए एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/ पति के नाम सहित तथा पूरा पता | अध्यक्ष मारुती सेवा संस्थान अस्थूना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा । |
| 2 | क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है | नहीं |
| 3 | संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :- | |
| (क) | ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम | ग्राम लोकिया ग्रा.पं. अस्थूना पटवारी हल्का अस्थूना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा । |
| (ख) | भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल | सर्वे नम्बर 51 रकबा 0.03 हे० किस्म- भूरी व सर्वे नम्बर 52 रकबा 0.04 हे० कुल रकबा 0.07 हे० किस्म- मगरी
700 वर्गमीटर
700 वर्गमीटर |
| (ग) | प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित कराते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है. में या व.मी. में)
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोग के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है । | |
| 1 | संपरिवर्तन का प्रयोजन | सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक) |
| 2 | संदेय प्रीमीयम की दर | 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर |
| 3 | चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमीयम की रकम | चालान न० 23839567 दिनांक 04.07.2018 रु० 7000/-जमा किये । |
| 4 | चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो | नहीं |
| 5 | चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम | नहीं |
| 6 | क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है । | नहीं |
| 7 | अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो । | नहीं |
| 8 | उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा । | |
| 1 | उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पुर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा । | |
| 2 | यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा । | |
| 3 | सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक) के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा । | |
| 4 | संपरिवर्तन भूमि पर निर्माण कार्य स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी से नक्शा/तामीरी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जावे । | |
| 5 | यह भूमि संपरिवर्तन आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य मार्ग /राष्ट्रीयकृत मार्ग की मुख्य सड़क से 40 मीटर व मुख्य जिला सम्पर्क सड़क सीमा से 25 मीटर एवं ग्राम पंचायत की ग्रामीण सड़क सीमा के मध्य बिन्दु से 12.5 मीटर की दूरी को छोड़कर किया जाना है। साथ ही उक्त संपरिवर्तित भूमि के उपर से यदि बिजली की कोई लाईन जा रही हो तो उसके नीचे निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। भूमि में कोई प्राकृतिक नाला विद्यमान है तो उसे अवरुद्ध नहीं किया जावेगा । | |

विहित प्राधिकारी की मुहर

विहित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

दिनांक: 19-3-19

क्रमांक :राज/2019/ 267-72
प्रतिलिपि :-

- (1) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा (2) तहसीलदार, गढ़ी (3) तहसील राजस्व लेखाकार, गढ़ी (4) ग्राम पंचायत अस्थूना (5) पटवारी हल्का अस्थूना (6) अध्यक्ष मारुती सेवा संस्थान अस्थूना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा ।

विहित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

प्रारूप-ख
(देखिए नियम 9 (ए))
कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)
संपरिवर्तन आदेश

प्रकरण संख्या: 02/18

अध्यक्ष, मारुती सेवा संस्थान अस्थाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिधृति में धारीत कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(ए) एवं संशोधित नियम-2012 में प्रदत्त अधिकारों के तहत सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक) के लिए एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

- | | | |
|-----|--|--|
| 1 | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/ पति के नाम सहित तथा पूरा पता | अध्यक्ष मारुती सेवा संस्थान अस्थाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा । |
| 2 | क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है | नहीं |
| 3 | संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :- | |
| (क) | ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम | ग्राम लोकिया ग्रा.पं. अस्थाना पटवारी हल्का अस्थाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा । |
| (ख) | भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल | सर्वे नम्बर 1290/51 रकबा 0.25 हे० किस्म-आबादी 2500 वर्गमीटर |
| (ग) | प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित कराते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है. में या व.मी. में ।)
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोग के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है । | 2500 वर्गमीटर |
| 1 | संपरिवर्तन का प्रयोजन | सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक) |
| 2 | संदेय प्रीमीयम की दर | 7.50 रु० प्रति वर्ग मीटर |
| 3 | चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमीयम की रकम | चालान न० 23336335 दिनांक 07.06.2018 रु० 12500/- एवं चालान नम्बर 0029220717 दिनांक 19.03.2019 रु० 12500/- कुल रु० 25000/- जमा कराये । |
| 4 | चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो | नहीं |
| 5 | चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम | नहीं |
| 6 | क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है । | नहीं |
| 7 | अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो । | नहीं |
| 8 | उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा । | |
| 1 | उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पुर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा । | |
| 2 | यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा । | |
| 3 | सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक) के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा । | |
| 4 | संपरिवर्तन भूमि पर निमार्ण कार्य स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी से नक्शा/तामीरी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जावे । | |
| 5 | यह भूमि संपरिवर्तन आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य मार्ग /राष्ट्रीयकृत मार्ग की मुख्य संडक से 40 मीटर व मुख्य जिला सम्पर्क सडक सीमा से 25 मीटर एवं ग्राम पंचायत की ग्रामीण संडक सीमा के मध्य बिन्दु से 12.5 मीटर की दूरी को छोड़कर किया जाना है। साथ ही उक्त संपरिवर्तित भूमि के उपर से यदि बिजली की कोई लाईन जा रही हो तो उसके नीचे निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का निमार्ण कार्य नहीं किया जावेगा। भूमि में कोई प्राकृतिक नाला विद्यमान है तो उसे अवरुद्ध नहीं किया जावेगा । | |

विहित प्राधिकारी की मुहर

विहित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)
गढ़ी, जिला बांसवाडा

क्रमांक :राज/2019/ 261-66
प्रतिलिपि :-

दिनांक: 19-3-19

(1) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाडा (2) तहसीलदार, गढ़ी (3) तहसील राजस्व लेखाकार, गढ़ी (4) ग्राम पंचायत अस्थाना (5) पटवारी हल्का अस्थाना (6) अध्यक्ष, मारुती सेवा संस्थान अस्थाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ।

विहित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)
गढ़ी, जिला बांसवाडा

क्रमांक 1376

दिनांक 18/12/25

सेवामें

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

मारुति सेवा संस्थान अरथूना (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूमि का पता : रविन्द्र नाथ टैगोर महाविद्यालय अरथूना, तह. अरथूना जिला बाँसवाडा (राज.)
327032
2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर	—	—	—	—	1175 / 157, 1262 / 157, 1322 / 1174, 1323 / 1174, 52,51
भूमि का वर्ग मीटर माप					8200 वर्ग मीटर
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक प्रो. / संस्थागत आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि					शैक्षणिक भूमि

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या / संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट / लगायत है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में मारुति सेवा संस्थान, अरथूना समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

✓ 1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित / संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

× 2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

तहसीलदार / सक्षम अधिकारी

तहसीलदार

(अरथूना जिला बाँसवाडा (राज.))